राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र–136119

नीलामी सूचना

Advt. No 22/2017

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के सिविल अभियांत्रिकी विभाग में, ई–कचरे को छोडकर पड़े, अन्य नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों की नीलामी **"जहाँ है जैसी है"** के आधार पर **शनिवार, 2 दिसम्बर, 2017** को **दोपहर 11:00 बजे** की जाएगी।

सामान निरीक्षण का समय	: सुबह 08:30 से 10:00 बजे
अग्रिम राशि जमा करवाने का समय	: सुबह 10:00 से 11:00 बजे
नीलामी का समय	: दोपहर 11:00 बजे से
अग्रिम राशि वजन के हिसाब से	: रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख)

(अग्रिम राशि का भुगतान केवल बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगा, कैश राशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।)

नीलामी में केवल वही स्क्रैप–डीलर/पार्टनर/अधिकृत–व्यक्ति हिस्सा ले पायेंगे जिनके पास **कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व के प्रमाण** पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड की मूल प्रति, और **इनकी एवं नियम व शर्तों की स्वप्रमाणित प्रति** होगी, **जो बोली से पूर्व संस्थान में** जमा कर ली जाएंगी। उक्त दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश अस्वीकार कर दिया **जाएगा। नीलामी के नियम व शर्तों** के लिए संस्थान की वेबसाईट, **www. nitkkr.ac.in** पर जाएें। अधिक जानकारी के लिए किसी भी **कार्यदिवस में संस्थान के भण्डार अनुभाग** में संपर्क कर सकते हैं।

कुलसचिव प्रभारी

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र – 136 119

नियम व शर्तें

1. ई–कचरा सामग्री को छोडकर अन्य नकारा व पुराने सामान व यन्त्रों को **"जहाँ है जैसी है"** के आधार पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेचा जाएगा।

2. नीलामी, ढ़ेर/लौट के आधार पर की जाएगी। **ठोस स्क्रैप** की बोली वजन प्रति किलो के हिसाब से ली जाएगी ।

3. प्रत्येक **स्क्रैप–डीलर/पार्टनर/अधिकृत**–व्यक्ति के पास **कंपनी लैटर हैड पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, एवं आधार कार्ड,** मूल रूप में और **इनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति** होना आवश्यक है, जो संस्थान में जमा कर ली जाऐंगी। उक्त प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में विभागाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि किसी भी आवेदक के प्रवेश को अस्वीकार कर सकते हैं।

4. **एक जी.एस.टी. नं० पर केवल एक ही बोलीदाता को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी।**

5. **अग्रिम राशि का भुगतान** केवल, निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र के पक्ष में, कुरूक्षेत्र में देय, **बैंक डिमांड ड्राफ्ट** के रूप में होगा, कैश राशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्रिम राशि केवल सफल बोलीदाता को छोडकर बाकी सभी को लौटा दी जाएगी। **सफल बोलीदाता द्वारा जमा अग्रिम राशी मॉल उठाने तक सुरक्षित रखी जाएगी।**

6. **वजन के हिसाब से** बेचे जाने वाले ठोस स्क्रैप की बोली के एवज में प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व, 2,00,000/– (दो **लाखं रूपये),** बतौर **अग्रिम राशि** संस्थान में जमा करवाने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को **"हथौडे के स्ट्रोक"** (प्रतीकात्मक) के तुरन्त बाद स्क्रैप का सटीक तोल स्थानीय धर्मकांटे पर संस्थान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करवाना होगा, जिसके खर्च का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं किया जाएगा। **हर सटीक तोल** का सेल्स–टैक्स/जी.एस.टी. सहित 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

7. आवश्यकता पडने पर स्क्रैप/माल हटाने के लिए **जरूरी लेबर, हैवी फोर्कलिफ्टर/क्रैन या वेल्डिंग कटर आदि** के **प्रबन्ध व भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता** की होगी।

8. बोली की स्वीकृती के बाद संस्थान से **माल निर्धारित दिनों के भीतर उठाना होगा**। माल न उठाने की स्थिति में संस्थान में जमा राशी जब्त कर ली जाएगी और अगले उच्चतम बोलीदाता की बोली स्वीकृती हेतु ऑफर कर ली जाएगी।

9. सफल बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा **मॉल गेट पास जारी होने के बाद ही उठाया जाएगा।**

10. **सेल्स टैक्स/** जी.एस.टी., यदि देय है, की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। **मॉल की डीलीवरी,** टैक्स, की पेमेण्ट की अदायगी के बाद ही होगी।

11. नीलामी को निर्धारित अवधि के भीतर ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी। यदि इसे पूरा नहीं किया जा सका तो आगे बढाया जा सकता है।

12. निदेशक व विभागाध्यक्ष बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार या नीलामी को रद्द कर सकते हैं।

13. बोली के आवंटन के सभी अधिकार, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के पास सुरक्षित हैं।

14. किसी भी विवाद के मामले में निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र का निर्णय अंतिम होगा।

कुलसचिव प्रभारी